~~Exam~~

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ

टावर–1, षष्टम तल, पुलिस भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमतीनगर, लखनऊ।

संख्याः12ए–159(दिशा–निर्देश)2019 दिनांकः जून 5 ,2020

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

कृपया पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या–बारह/ए–चिकित्सा निर्देश–2011 दिनांक 8.11.2011, अधिसूचना संख्याः 2275/5–6–11–1082/87, दिनांक 20.09.2011 के क्रम में परिपत्र संख्याः तेईस–चिकित्सा निर्देश–2014 दिनांक 27.3.2014, अधिसूचना संख्याः–474/पांच–6–14–1082/87टीसी दिनांक 04.03.2014 (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 एवं परिपत्र संख्याः तेईस–चिकित्सा निर्देश–2015 दिनांक 19.11.2015 (छाया प्रति संलग्न) की प्रति आपको प्रेषित की गयी है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त अधिसूचना के नियम–20 को संशोधित करते हुए सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चिकित्सा दावों के स्वीकृतकर्ता अधिकारी को निम्नवत अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैः–

दावे की धनराशि	स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी
रू0 2,00,000/– तक	कार्यालयाध्यक्ष (जनपदीय प्रभारी/इकाई प्रभारी)
रू02,00,000/– से अधिक रू05,00,000/– तक	विभागाध्यक्ष (जोनल पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक)
रू05,00,000/–से अधिक रू0 10,00,000/– तक	सरकार के प्रशासकीय विभाग
रू0 10,00,000/– से अधिक	वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग

3. इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारतीय सेवा, प्रान्तीय सेवा एवं एलाइड सेवा से सेवानिवृत्त हुए राजपत्रित अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 2,00,000/– तक कार्यालयाध्यक्ष तथां रू0 2,00,000/– से अधिक रू0 5,00,000/–, तक विभागाध्यक्ष्य द्वारा ही तद्नुसर निस्तारित किये जायेगें तथा रू0 5,00,000/– से अधिक के दावे, पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से शासन को स्वीकृत हेतु संदर्भित किया जाय।

4. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के नियम–24 में वर्णित है कि यह नियमावली अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहॉ अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस नियमावली से निम्नतर हैं।

5. ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्याः 1495/छः पु0से0–02–10–522(5)/84 दिनांक 15.02.2011 द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस उपमहानिरीक्षकों को विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए उन्हें संलग्न सूची के 48 कार्यो हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गये हैं।

6. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 3886/छ–पु0से0–2–99–522 (5)/14 दिनांक 22.10.1999 में पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर अपर पुलिस महानिदेशको को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है और इन्हें भी विभागाध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार शासन द्वारा निर्गत आदेशों से स्पष्ट है कि पीएसी, सी.आई.डी., अभिसूचना एवं सुरक्षा, रेलवे, फायर सर्विस, प्रशिक्षण, तकनीकी सेवायें के स्थान पर अपर पुलिस महानिदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है तथा उन्हें प्रतिनिधानित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक, ई.ओ.डब्लू. रेडियो संचार, भ्र0नि0 संगठन, विशेष जॉच व वाराणसी जोन के पुलिस महानिरीक्षक को विभागाध्यक्ष पूर्व से घोषित किया गया है।

7. पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या कल्याण–23 (चि0नि0)–2019 दिनांक 24.12.2019 द्वारा शासनादेश संख्या 3886/छ–पु0से0–2–99–522 (5)/14 दिनांक 22.10.1999 के अनुपालन में सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे रू0 5.00 लाख तक के बिल जनपद, पीएसी व इकाई के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निस्तारित किये जाने के निर्देश निर्गत किये जा चुके है।

8. अतएव शासन/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/परिपत्रों के आलोक में जनपद/इकाईयों में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों (आई0पी0एस0 अधिकारियों सहित)/कर्मचारियों के चिकित्सा दावों का निस्तारण करें।

संलग्नकः **यथोपरि**

5/6/20

(हरिचरण सिंह)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, टावर–2, पंचम तल गोमतीनगर विस्तार,उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्याःडीजी–एक–39(निर्देश)–2019 दिनांक 27.2.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

SL-32

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद

संख्या-तेईस-चिकित्सा निर्देश-2015

सेवा में,

दिनांक नवम्बर 19 2015

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।

विषय उ0प्र0 सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011, एवं प्रथम संशोधन-2014 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियो/कर्मचारियो एवं उनके आश्रितो के उपचार के चिकित्सा ... को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया पुलिस मुख्यालय के समांक परिपत्र संख्या तेईस-चिकित्सा निर्देश-2014 दिनांक 27-03-2014 के साथ अधिसूचना संख्या 474/पॉच-6-14-1082/87टीसी, दिनांक 04-03-2014 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 की प्रति आपको प्रेषित की गयी है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त अधिसूचना सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवको के चिकित्सा दावो के स्वीकृतकर्ता अधिकारी को निम्नवत अधिकार प्रतिनिधानित किये गये है:-

दावे की धानराशि	स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी
रू0 2,00,000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष (जनपदीय प्रभारी/ईकाई प्रभारी)
रू0 2,00,000/- से अधिक रू0 5,00,000/- तक	विभागाध्यक्ष (जोनल पुलिस महानिरीक्षक)
रू0 5,00,000/- से अधिक रू0 10,00,000/-तक	सरकार के प्रशासकीय विभाग
रू0 10,00,000/- से अधिक	वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार के प्रशासकीय विभाग

3- इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारतीय सेवा, प्रान्तीय सेवा एवं एलाइड सेवा से सेवानिवृत्त हुए राजपत्रित अधिकारियो के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 2,00,000/- तक कार्यालयाध्यक्ष तथा रू0 2,00,000/- से अधिक रू0 5,00,000/-तक विभागाध्यक्ष द्वारा ही तद्नुसार निस्तारित किये जायेगें तथा रू0 5,00,000/- से अधिक के दावे, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से शासन को स्वीकृत हेतु संदर्भित किया जायेगा।

4- कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(सनक नैपुरी)
निदेशक, वित्त
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।

19-11-15

प्रतिलिपि: श्री एस0के0 चन्द्र, सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस पेन्शनर कल्याण संस्थान, कमरा नम्बर-419, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र दिनांक 29-10-2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।